केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 602
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 602
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
e-mail:kvssao@hub.nic.in
website:www.kvsangathan.nic.in

फा. सं 11094/2/2011–केविसं मु.{प्रशा.2} दिनॉक : 04.01.2012

उपायुक्त,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन।

विषय :–वर्ष 2011–12 में वाहन अग्रिम हेतु बजट प्रावधान ।

महोदय/महोदया,

वर्ष 2011–12 बजट प्रावधान में केन्द्रीय विद्यालय संगठन {मुख्यालय}, क्षेत्रीय कार्यालयों, 05 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रीय विद्यालयों के योग्य अधिकारियों को वाहन अग्रिम प्रदान करने हेतु रु0 75,00,000/– {रुपये पचहतर लाख केवल} का बजट प्रावधान रखा गया है। ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

कम संख्या	प्रयोजन	बजट प्रावधान {रुपयों में}
1.	योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों को कार अग्रिम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर	11,90,000
2.	स्कूटर/मोपेड अग्रिम केविसं{मुख्यालय}, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जीट के योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए	9,00,000
3.	साईकिल अग्रिम केविसं{मुख्यालय} के कर्मचारियों के लिए	4000
4.	साईकिल अग्रिम क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए रु0 4500/– प्रति संभाग की दर से जोकि संबंधित उपायुक्त द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा	81000
5.	साईकिल अग्रिम 05 जीट के कर्मचारियों के लिए रु0 3000/– प्रति जीट की दर से जोकि संबंधित उपायुक्त द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा	15000
6.	स्कूटर/मोपेड अग्रिम केन्द्रीय विद्यालयो के योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रु0 2,95,000/– प्रति संभाग की दर से जोकि संबंधित उपायुक्त द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा	5310000
		7500000

वित्तीय वर्ष के अंत में निधि के अवरोध एवं अभ्यर्पण को रोकने हेतु केन्द्रीय विद्यालयों एवं आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शैक्षिक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को स्कूटर/मोपेड/ साईकिल अग्रिम देने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्तों एवं आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशकों को इस निधि को स्वीकृति करने के अधिकार दिए गए हैं। जी.एफ.आर. के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाए। उपायुक्तों एवं, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशकों द्वारा इस विषय में वित्तीय वर्ष के अंत में इस निधि के उपायोजन का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। इस निधि के अंतर्गत बकाया राशि, यदि कोई शेष रहे, तो उसे दिनॉक 28.2.2012 तक केविसं{मुख्यालय} को अभ्यर्पण करें।

40/AC(EDP)
5/1/12

क्रमश.........

3. स्कूटर अग्रिम {केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को छोड़कर} और कार अग्रिम सभी केन्द्रीय विद्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों एवं मुख्यालय के योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालय द्वारा ही संस्वीकृत किया जाएगा। आपसे अनुरोध किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों के योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्धारित प्रपत्र **(जी.एफ.आर में उपलब्द फार्म VI)** में प्राप्त आवेदन अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को **दिनॉक 20.01.2012 तक अवश्य भिजवा दें।**

4. इस बारे में यह प्रमाण पत्र भी जारी करना आवश्यक है कि प्राप्त आवेदनों पर जी.एफ.आर नियमानुसार विचार किया गया एवं किसी योग्य एवं इच्छुक कर्मचारी/अधिकारी का आवेदन बिना किसी वैध कारण के नहीं रोका गया। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का आवेदन रोकने की संस्तुति की गई है तो स्पष्ट कारण बताया जाए। आवेदनों को अग्रेषित करने से पूर्व यह भी प्रमाणित करना आवश्यक है कि आवेदक वास्तव में अग्रिम प्राप्त करने हेतु इच्छुक है। अग्रिम के निरस्तीकरण हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. यह पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है ।

6.

भवदीय,

आर के शर्मा

{राजेन्द्र कुमार शर्मा}
सहायक आयुक्त {प्रशासन}

प्रतिलिपि :—

1. केविसं {मुख्यालय} के सभी अधिकारी/अनुभाग। योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे कार/स्कूटर/साईकिल अग्रिम हेतु निर्धारित प्रपत्र में **आवेदन पत्र दिनॉक 20.01.2012 तक अनुभाग अधिकारी {प्रशासन–2 अनुभाग} में भिजवा दें।**
2. **सहायक आयुक्त, (ई.डी.पी.),** केविसं {मुख्यालय} नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि इस पत्र को कृपया संगठन मुख्यालय की वैबसाइट पर प्रशा. हैड में अपलोड करने का कष्ट करें ।

आर के शर्मा

सहायक आयुक्त {प्रशासन}